झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
डबल्यू. पी. (सी) नंबर 3667/2020

महेश प्रसाद अग्रवाल ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2 प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची
3.प्रधान सचिव, शहरी विकास और नगर नियोजन विभाग, झारखंड सरकार, रांची
4.उपायुक्त, पलामू
5. अनुमंडल दंडाधिकारी , हुसैनाबाद
6 कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद
7 उप-निबंधक , हुसैनाबाद
8 अध्यक्ष, नगर पंचायत, हुसैनाबाद
9. उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, हुसैनाबाद
10. वारिस हुसैन ... ... उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिएः श्री मितुल कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता नंबर 1 से 5 के लिए : श्री मनोज कुमार नंबर 3, जीपी-II

आदेश संख्या 04 **दिनांकः 07.01.2021**

वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी सख्या 2 से 4 पर निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है कि हुसैनाबाद नगर पंचायत द्वारा आवंटियों को दुकान परिसर के आवंटन की पूरी अवैध कार्यवाही की ठीक से जांच करने के लिए, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, शक्ति का दुरुपयोग करके और चुनने और चुनने की विधि अपनाकर नियत औपचारिकताओं, नियमों और विनियमों का पालन किए बिना किया गया है अपनी पसंद के व्यक्तियों का पक्ष लिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ श्री मनोज कुमार नंबर 3 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के लिए विद्वान जी पी ii को सुनने के बाद, और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता

में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी सं4- उपायुक्त, पलामू के समक्ष एक प्रतिनिधित्व का आवेदन देने की स्वतंत्रता दी जाती है।उक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर, प्रतिवादी सं. 4 सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, प्रतिनिधित्व दाखिल करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में एक उचित निर्णय लेगा।

3. तदनुसार रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

मनीष